न्यायालय अपर जिला जज, कोर्ट सं0 11, गाजियाबाद।

सिविल अपील संख्या : 57/13
सोना एन्केलव बनाम ओमपाल

प्रार्थनापत्र 14 ग का निस्तारण

दि0 06.10.17

पत्रावली आदेशार्थ पेश है।

अपीलार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र 14 ग मय शपथपत्र 15 ग अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 अभिलेख दाखिल करने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी ने विचारण न्यायालय में अपने केस के समर्थन में समस्त साक्ष्य प्रस्तुत किये, लेकिन विचारण न्यायालय की डिक्री पारित होने के पश्चात कुछ अभिलेखीय साक्ष्य उसकी जानकारी में आये, जिनका प्रत्यर्थी/वादी के कृत्य को दोषी साबित करने के लिये पत्रावली पर लिया जाना आवश्यक है। उपरोक्त प्रपत्र डिक्री पारित होने से पूर्व अपीलार्थी/प्रतिवादी की संज्ञान में नहीं थे, जिस कारण विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री पारित किये जाने के समय उपरोक्त प्रपत्र अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये थे। वादी का कर्तव्य था कि वह विचारण न्यायालय के समक्ष सही तथ्य रखे। सूची 14 ग/4 से एनेक्चर के रूप में दाखिल प्रपत्रों को सही एवं उचित न्याय निर्णयन के लिये पत्रावली पर लिये जाने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है। अतः उक्त प्रपत्रों को पत्रावली पर लिये जाने हेतु आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई है। अपीलार्थी द्वारा सूची 14 ग/4 से 14 ग/5 ता 14 ग/6 परिवाद सं0 7683/05 की सत्य फोटो प्रतिलिपि, 14 ग/7 ता 14 ग/8 उक्त परिवाद में निर्णय/आदेश की सत्य फोटो प्रतिलिपि प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत की गयी है।

प्रत्यर्थी द्वारा 17 ग 2 आपत्ति दाखिल की गयी है एवं कथन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 14 ग का कोई आधार स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया गया है। उक्त कागजात का उक्त सिविल के प्रभावपूर्ण निस्तारण के लिये कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अपील के निस्तारण में विलम्ब करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है, कोई आधार विद्यमान नहीं है। प्रार्थनापत्र आधारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि वाद सं0 132/05 ओमपाल बनाम सोना एन्कलेव रेस्पोंडेंट/वादी द्वारा अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध शाश्वत निषेधात्मक व्यादेश के अनुतोष हेतु योजित किया गया, जिसमे अवर न्यायालय, सिविल जज (जू0 डि0) गाजियाबाद द्वारा दि0 30.11.12 को निर्णय पारित किया गया तथा वादी का वाद आंशिक रूप से प्रतिवादी के विरूद्ध आज्ञप्त किया गया। उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा यह अपील योजित की गयी है। इसी स्तर पर अपीलार्थी द्वारा यह प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 अभिलेख दाखिल करने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 में अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य का पेश किया जाना प्रावधानित है। अपील के स्तर पर मौखिक अथवा अभिलेखीय अतिरिक्त साक्ष्य निम्न तीन परिस्थितियों में ही प्रस्तुत किया जा सकता हैः–

क– जब अवर न्यायालय ने ऐसा साक्ष्य ग्रहण करने से इंकार कर दिया हो, जो ग्रहण किया जाना चाहिये।

ख– वह पक्षकार जो अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहता है, वह सिद्ध कर देता है कि वह सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने के बावजूद ऐसे साक्ष्य की जानकारी नहीं कर पाता या वह उसे समय से पेश नहीं कर पाता, जब डिक्री पारित की गई थी। या

ग– अपीलीय न्यायालय किसी अभिलेख या साक्षी की परीक्षा स्वयं निर्णय सुनाने के समर्थ होने के लिये या किसी अन्य सारवान् हेतुक के लिये आवश्यक समझे।

अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में यह कहा गया है कि विचारण न्यायालय की डिक्री पारित होने के पश्चात कुछ अभिलेखीय साक्ष्य उसकी जानकारी में आये। उपरोक्त प्रपत्र डिक्री पारित होने से पूर्व उसके संज्ञान में नहीं थे, इसीलिये विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री पारित किये जाने के समय उपरोक्त प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये जा सके। अपीलार्थी द्वारा जिन अभिलेखों को दाखिल करने की अनुमति चाही गई है, उन अभिलेखों को, मूल वाद के स्तर पर संज्ञान में नहीं होने के कारण ही प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उक्त तथ्यों को देखते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को पत्रावली पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहाँ तक अपीलार्थी के उक्त कृत्य से विलम्ब होने का प्रश्न होने का प्रश्न है, तो इसकी प्रतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है।

तद्नुसार प्रार्थनापत्र 14 ग हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 14 ग अंकन 500/–रू0(पाँच सौ रू0) हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी अग्रिम नियत तिथि तक हर्जा अदा करे। बाद हर्जा अदायगी सूची 14 ग/4 से दाखिल अभिलेखों को पत्रावली पर रखा जाये।

पत्रावली दि0 08.11.17 को वास्ते बहस पेश हो।

(प्रीति श्रीवास्तव)
अपर जिला जज,
कोर्ट सं0 11,गाजियाबाद।